HALF-AN-HOUR DISCUSSION

On points arising out of the answer given in the Rajay Sabha on 23rd August 1985 to Starred Question 442 regarding Sugar Mills taken over by Government in 1978-79.

श्री वीरेन्द्र वर्मा (उत्तर प्रदेश) : आदरणीय वाइस-चेयरमैन महोदय, 8 शुगर फैक्टरियों को सन् 1978-79 में भारत सरकार ने अधिग्रहण किया था इस कारण कि वे रुग्ण थी, बीमार थीं। किसानों का, मजदूरों का पेमेन्ट नहीं हो रहा था। मान्यवर, इन आठ मिलों में दो मिल कोआपरेटिव विभाग की हैं। जिस दिन से वे फैक्टरियां ली हैं अभी तक केन्द्रीय सरकार की ओर से 35 करोड़ रुपये उनको कर्ज में दिये जा जा चुके हैं जिस में से 4-5 करोड़ रुपये उन्होंने वापस भी किये हैं। 30 करोड़ उन पर बाकी है। आई० एफ० सी०, कोआपरेटिव और दूसरे बैंकों का कितना ऋण उन पर है, इस पर मंत्री महोदय प्रकाश डालेंगे। ये सभी फैक्ट्रियां जिस दिन से ली गई हैं इनमें से अधिकांश एक दो फैक्ट्रियों को छोड़कर सभी घाटे में चल रही हैं। कावेरी एक ऐसी फक्ट्री है, देवरिया एक ऐसी फैक्ट्री है जो पहले ठीक से काम कर रही थीं, लेकिन बाद में वे भी घाटे में जाने लगीं और उनका नुक्सान पर नुक्सान होता गया। सबसे अधिक दुःख और अफसोस की बात यह है कि देश भर में जो चीनी का कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसकी तुलना में इन शुगर फैक्ट्रियों में चीनी का कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है। जिस दिन ये शुगर फैक्ट्रियां हाथ में ली गई थीं उस दिन के तुलनात्मक आंकड़े आप देखें तो पता चलेगा कि लक्सर शुगर फैक्ट्री में सन् 1978-79 में 9.46 परसेंट रिकवरी थी तो सन् 1984-85 में यह 9.15 परसेंट हो गई अर्थात, 31 परसेंट घट गई। इस साल में और भी कमी आई है। दुःख और अफसोस तो इस बात का है कि चीनी हम बाहर से मंगा रहे हैं। इसी लक्सर फैक्ट्री मे सन् 1983-84 में 21833 टन चीनी का उत्पादन हुआ और सन् 1984-85 में 13144 टन चीनी का उत्पादन हुआ। जब हिन्दुस्तान भर में दो लाख टन चीनी का अतिरिक्त उत्पादन हुआ है, इस वर्ष में इन शुगर फैक्ट्रियों के चीनी के उत्पादन में गिरावट आई है। बैतालपुर शुगर फैक्ट्री की रिकवरी पहले 9.42 परसेंट थी, लेकिन इस वर्ष यह 9 परसेंट है। देवरिया रिकवरी पहले 9.26 थी, इस वर्ष यह 9.04 परसेंट रह गई है। देवरिया में सन् 1983-84 में 7331 टन चीनी का प्रोडक्शन हुआ, लेकिन इस वर्ष यह 4507 टन है। बैतालपुर में पहले 8514 टन चीनी का उत्पादन हुआ था, लेकिन इस साल 5272 टन चीनी का उत्पादन हुआ है। जबकि चीनी का प्रतिशत पहले सालों से बेहतर स्तर पर है। अयोध्या शुगर फैक्ट्री में सन 1976-77 में 9.72 परसेंट रिकवरी थी, लेकिन सन् 1978-79 में यह 8.30 परसेंट हो गया है। सन् 1979-80 में यह 8.01 परसेंट था, सन् 1983-84 में 8.40 हो गया और अगले साल यह कुछ बढ़ा है। लेकिन चीनी का उत्पादन 16040 मीट्रिक टन से घटकर इस वर्ष 13144 मीट्रिक टन हो गया है। किशोरीपट्टम की रिकवरी बेहतर रही लेकिन चीनी का उत्पादन 7294 मीट्रिक टन से घटकर 5324 मीट्रिक टन हो गया है। सन् 1983-84 में यह स्थिति रही। दुःख और अफसोस की बात यह है कि सन् 1984-85 में 2559 मीट्रिक टन चीनी का उत्पादन हुआ लेकिन यह घटता ही गया है। जीजीमाता फैक्ट्री एक कोआपरेटिव क्षेत्र की फैक्ट्री है। इसमें सन् 1976-77 में 9.78 परसेंट रिकवरी थी और सन् 1978-79 में यह 10.44 परसेंट थी, लेकिन बाद में यह गिरते-गिरते 8.45 परसेंट हो गई। सन् 1982-83 में यह 9.13 परसेंट हो गई। उसके बाद सन् 1983-84 में यह 8.98 परसेंट हो गई। इस प्रकार से चीनी का उत्पादन 14979 टन से गिर कर सन् 1983-84 में यह 2968 टन हो गया है।

6 P.M.

क्या हो रहा है मान्यवर? माना कि इस वर्ष 8905 टन जीजामाता में चीनी का उत्पादन हुआ। वभनान की रिकवरी अच्छी है लेकिन चीनी का उत्पादन 1983–84 में 6527 टन था जो गिरकर 3802 टन रह गया 1984–85 में। यह इस बात की दलील है कि हमारी रिकवरी भी गिरी है और जिस दिन से टेकओवर किया, उसका चीनी का उत्पादन भी गिरा है। खर्चे इनके जरूर बहुत बढ़े हैं। जितना खर्चा होना नहीं चाहिये उतने खर्चे हुए हैं। मान्यवर, मैंने पिछली दफा कई कस्टोडियन्स की चर्चा की। अयोध्या शुगर फैक्टरी, जो राजा का सहसपुर, डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद, यू० पी० में है वहां 25 मई, 1979 से एक कस्टोडियन है और लगातार वही चल रहा है। मान्यवर, अगर आप आज्ञा दें तो मैं कहना चाहता हूं कि 1978–79 में 34 लाख रुपये का वहां नुकसान था, अगले वर्ष 35 लाख का नुकसान हुआ, अगले वर्ष 48 लाख 87 हजार रुपये का नुकसान हुआ। नुकसान बढ़ता ही चला जाता है और लगातार वही सज्जन वहां पर कस्टोडियन बने हुये हैं। मेरी जानकारी है कि वे यहीं रहते हैं और हफ्ते में तीन दिन कार लेकर जाते हैं, यहीं घूमते हैं और किन्हीं अधिकारी के वे लाडले कस्टोडियन हैं। इसी प्रकार मान्यवर, मैंने पिछली दफा दो व्यक्तियों के बाबत पूछा था। एच० एन० श्रीवास्तव वैतालपुर और देवरिया उत्तर प्रदेश में ये जो दो फैक्टरियां हैं, इन दोनों फैक्टरियों के कस्टोडियन वे लगातार चार वर्षों तक रहे। मान्यवर, उन दोनों फैक्टरियों की हालत मैं बताना चाहता हूं कि 1981-83 में 17 लाख 40 हजार का वहां नुकसान था और 1982-83 में एक करोड़ 17 लाख का नुकसान हुआ इससे आगे की मेरे पास फिगर्स नहीं हैं। इसी प्रकार वैतालपुर में 6 लाख रुपये का नुकसान हुआ, अगले साल 8 लाख रुपये का नुकसान हुआ और उससे आगे की फिगर्स मेरे पास इस समय उपलब्ध नहीं है। महोदय, मेरा कहना यह है कि जब श्रीवास्तव साहब वहां थे तो 9.42 प्रतिशत से गिरकर उनके जमाने में 8.70, 8.58, 8.70 और 9 प्रतिशत चीनी की रिकवरी रही है। इसी प्रकार वैतालपुर में भी 9.26 से गिरकर 8.96, 8.92, 8.165, 8.35, 8.85 प्रतिशत रिकवरी रही है। चीनी की रिकवरी भी गिरी है और चीनी का उत्पादन भी गिरा है और लास भी बढ़ा है। थोड़ा बहुत नहीं बढ़ा है। इसी प्रकार की स्थिति मान्यवर, वी० के० सिंह की रही। लक्कर शुगर फैक्टरी में वे थे। मान्यवर, यह अफसोस की बात है कि श्रीवास्तव साहब और वी० के० सिंह इन दोनों कस्टोडियनों के खिलाफ शिकायतें थीं। जिनकी जांच चल रही थी। मैंने पढ़ा है मान्यवर कि उन्होंने अपने रिश्तेदारों के लिये, मैंने विल्ट्ज में पढ़ा कि उन्होंने देहरादून से लाइम स्टोन मंगाया, कभी लकड़ी मंगवाई और न जाने क्या क्या किया। इसी प्रकार की शिकायतें श्रीवास्तव के खिलाफ थीं। लेकिन जब उनके खिलाफ शिकायतें हुई तो आपके फूड डिपार्टमेंट के एक उच्च अधिकारी ने कस्टोडियन-शिप से उनका इस्तीफा ले लिया। जांच उनके खिलाफ चल रही थी। मान्यवर, अब सुना गया है कि यह मामला सी०बी०आई० को दे दिया गया है। जब उनके खिलाफ सी०बी०आई० जांच कर रही है, या डिपार्टमेंटल जांच हो रही थी उसके बाद उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया और उनके ऊपर कोई ऐक्शन नहीं लिया जा सका। एक मि० वी० के० गुप्ता और के०के० गुप्ता जो कस्टोडियन थे उनके खिलाफ जांच की गई और के०के० गुप्ता को बरखास्त किया गया भ्रष्टाचार के मामले में लेकिन वी०के० गुप्ता और के०के० गुप्ता दोनों मर गये।

यह भी बताने की कृपा करें कि उनको जो बरखास्त किया था उनके ऊपर जितना रुपया बकाया निकला वह भी वसूल हो गया या नहीं? शिकायतें क्या थीं, उनकी जांच आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार यह भी मामला मैं आपके नोटिस में लाना चाहता था। एक सब से बड़े अफसोस की यह बात है कि 1978-79 से यह शुगर फैक्टरियों की रिपोर्टस, मेरे पास उपलब्ध हैं आपको उनसे जाहिर क्या होता है। 1979–80 के आडिट

[श्री वीरेन्द्र वर्मा]

हो गये, 1980-81 में आडिट हो गये, 1980-81 के बाद अब 1985 चल रहा है आज तक आडिट नहीं हुआ है। सरकार उनको कर्जा भी दिये जा रही है, बैंकों के भी कर्ज हैं, आई०एफ०सी० के भी कर्ज हैं लेकिन किसी का कोई आडिट नहीं हुआ है। यह मंत्री महोदय के लिए चुनौती है। मिलें सारी रुग्ण हालत में हैं। हालत खराब है। 25 हजार रुपये इन से लिये जाते हैं कास्टोडियन जनरल के आफिस के लिए। खुद तो मर रहे हैं और कास्टोडियन जनरल क्या कर रहे हैं। कितना सुधार हुआ है? चीनी की रिकवरी गिरी है और चीनी का उत्पादन गिरा है, कास्ट आफ प्रोडक्शन बढ़ा है, लासेज बढ़े हैं। सारी बातें और बुराइयां बढ़ी हैं और 25-25 हजार रुपये इन फैक्टरियों से ले कर के कास्टोडियन जनरल के आफिस के लिए दिये जा रहे हैं यह वहां चल रहा है। आप यह भी बताने की कृपा करेंगे कि इन कास्टोडियंस में स्टेट गवर्नमेंट के कौन कौन हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के कौन कौन हैं और आपने जो अपना उत्तर दिया था कि एप्रोप्रियेट एक्शन लेंगे तो वह एप्रोप्रियेट एक्शन भी बताने की कृपा करें कि वह एप्रोप्रियेट एक्शन आपने क्या लिया?

माननीय, अब कुछ सुझाव देकर के मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। मेरा सुझाव इस संबंध में यह है कि दोनों सहकारी शूगर फैक्टरीज हैं उन दोनों को कृपा कर के या तो राज्य सरकार को लौटा दें या सहकारी समितियों को जिनकी है काश्तकारों की उनको लौटा दें। वह शूगर फैक्टरियां तो मर गईं काश्तकार तो सारी उम्र उसके मालिक बन नहीं सकते, इतना नुक्सान हुआ है जब से कास्टोडियन के कब्जे में आई हैं उनका अधिग्रहण किया गया है इसलिए मेरा सुझाव है कि दोनों शूगर फैक्टरियों को राज्य सरकार को दे दें या किसानों को लौटा दें। नम्बर दो, इन फैक्टरीज को या तो आप नेशनलाइज करें, उनको माडर्नाइज करें और माडर्नाइज कर के ठीक तरीके से आप चलाएं। अगर आप नेशनलाइज करने में असमर्थ हैं, अगर आपकी ऐसी पालिसी नहीं है तो खुदा की खातिर राज्य सरकार को दे दे के चलाएं, उनकी जो फैडरेशन बना रखी है वे चलाएं। अगर वे भी नहीं लेना चाहते तो मेरी यह गुजारिश है अगर फैक्टरीज के मालिक लेना चाहते हैं यदि उनमें सुधार करना चाहते हैं तो करें। यदि कोई भी नहीं लेना चाहते हों तो आप लें और आप कृपा कर के इनको आगे बढ़ाने की कृपा करें। आप फैक्टरियों को कस्टोडियन्स के हित में न चलाएं। इनको आप मजदूर और किसान की खातिर रखें। मान्यवर मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं। एक्साइज़ ड्यूटी में हमारा नुकसान हुआ है। जितना चीनी का उत्पादन कम होगा उतना ही एक्साइज़ ड्यूटी में भारत सरकार को नुकसान होगा। फारेन एक्सचेंज में नुकसान है क्योंकि चीनी एंम्पोर्ट करनी पड़ती है, बाहर से मंगानी पड़ती है इसलिए मैं अंतिम सुझाव दे करके बैठ जाना चाहता हूं कि आपने जो शूगर फैक्ट्रीज के मालिकान हैं, अभी आज भी रेडियो पर था, तीन चार दिन पेश्तर भी रेडियो पर था कि एक्साइज ड्यूटी में आपने रिलीफ़ दिया है साढ़े उन्नीस रुपये प्रति क्विंटल का और आपने इस पहली अप्रैल से 40 रुपये प्रति क्विंटल चीनी की कीमत बढ़ाई है। मैंने पिछली दफ़ा भी हाउस में हिसाब लगा कर बताया था कि 40 रुपये क्विंटल के हिसाब से चार सौ रुपये प्रति टन हुआ। आपने जितनी चीनी बनाई वह 61 लाख टन है और उसका दो तिहाई लगा लीजिये लेवी का वह बनता है 40 लाख टन उसकी कीमत एक अरब साठ करोड़ रुपये होती है। तो इतना मिल मालकिन की जेब में जा चुका है। इसलिए यह रिलीफ जो आपने दिया है, उसका प्राइस आपने बढ़ाया है इससे पेश्तर भी पहली फरवरी, 84 को 25 रुपये क्विंटल बढ़ा चुके हैं चीनी की कीमत जब कि किसानों के गन्ने की कीमत वही रही, साढ़े इक्कीस रुपये हमारे उत्तर प्रदेश में रही और बीच में 25 रुपये क्विंटल चीनी की कीमत बढ़ी थी, अब 40 रुपय बढ़ी लेकिन गन्ने की कीमत वही रही। क्या आप मिल मालकिन को रिलीफ देने से चीनी उत्पादन बढ़ा सकेंगे?

मेरी आपसे गुजारिश है, मेरा आपसे एक सुझाव है और मेरी आपसे एक सिफारिश है कि जब तक किसानों को आप लाभकारी मूल्य नहीं अदा करायेंगे, उस समय तक इस देश में चीनी का उत्पादन नहीं बढ़ेगा और

गर्वनमेंट को मजबूर होकर चीनी का इम्पोर्ट करना पड़ेगा।

इसलिए, मान्यवर, आपसे मेरे दो सुझाव इस मामले में है कि किसान को आप रु० 25 क्विंटल कम से कम गन्ने का मूल्य अदा करायें और फिर देखें.....

श्री कल्पनाथ राय (उत्तर प्रदेश) : रु० 32 प्रति क्विंटल।

श्री वीरेन्द्र वर्मा : ...कि क्या करिश्मा किसान करता है और चीनी का उत्पादन इस देश में कितना होता है। आप एक्सपोर्ट करेंगे, इम्पोर्ट नहीं कर सकेंगे।

दूसरे, मान्यवर, आपका मेरे पास उत्तर मौजूद है, जो आपने दिया था कि गन्ने की कीमत बहुत ज्यादा सरकार ने कर दी इसलिए मिल-मालकिन गन्ने की कीमत अदा नहीं कर पाते। मान्यवर, 1980–81 1981–82 और 1982–83 में रु० 13 क्विंटल भारत सरकार ने स्टेच्यूटरी प्राईस मुकर्रर की है साढ़े आठ फीसदी की रिकवरी पर और फिर की है साढ़े तेरह और फिर की है चौदह रुपये 1984–85 में चौदह रुपये क्विंटल की थी जब कि कृषि मूल्य आयोग ने साढ़े पन्द्रह रुपये और सोलह रुपये क्विंटल की सिफारिश की थी और जब (**समय की घंटी**) — बस मैं खत्म ही कर रहा हूं। जब आप स्टेच्युटरी प्राईस कृषि मूल्य आयोग के आधार पर मिल को नहीं देते, तो मिल-मालकिन कम स्टेच्युटरी प्राईस के आधार पर मजबूर होकर समय से किसान को गन्ने की कीमत नहीं दे पाता अगर मिल को ठीक स्टेच्युटरी प्राईस आप करेंगे और किसान को ठीक प्राईस देंगे, तो चीनी का उत्पादन बढ़ेगा और विदेश को हम एक्सपोर्ट करेंगे और चीनी का इम्पोर्ट बंद होगा, जो इस देश के लिए एक शर्म की बात है। धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. RAMAKRISHNAN) : Hon'ble Minister, Rao Birendra Singh.

एक माननीय सदस्य : पहले हम कुछ प्रश्न ..... (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष (श्री आर० रामाकृष्णन) : पहले वह जवाब देंगे। बाद में जो संसद् सदस्य प्रश्न पूछना चाहते हैं, वह आप पूछेंगे।

राव बीरेन्द्र सिंह (खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री) : उपसभाध्यक्ष महोदय, श्री वीरेन्द्र वर्मा ने पहले जब यह स्टार्ड क्वश्चन उठाया था हाऊस में, तब भी सारी बातें कही थी और काफी हद तक उनको जानकारी इस सारे मामले में दे दी गई है। लेकिन उनकी तसल्ली नहीं हुई है। उन्होंने अब फिर कुछ मुद्दे उठाये हैं। उनको फिर मुख्तसर तौर पर सब का ही जवाब मैं देना चाहता हूं।

पहली बात तो उन्होंने यह कही कि यह फैक्टरीज़ घाटे में चल रही है। मैं मानता हूं कि घाटे में चल रही हैं। ये ली ही इसलिए गई थी कि वह ठीक नहीं चल रही थी। यह सारी मिलें बीमार थीं जो इनके असली मालिक थे वे इनको प्राफिट में नहीं चला सके। सरकार ने जब इनको लिया, तब तो इनकी हालत इतनी खराब थी कि अगर सरकार इनको लेकर न चलाती, तो यह बंद हो गई होती। बार-बार मैंने बताया है कि सिर्फ किसान को मदद देने के लिए ताकि इनके इलाकों के अंदर जो शूगर मिल चल रही है। वह चलती रहें और उनका गन्ना खरीदने के लिए कोई जगह रहे, उनको कोई नुकसान न हो, इस लिए सरकार ने यह जानते हुए कि घाटा इन मिलों में होगा, यह फैक्टरीज ली, बहुत सी फैक्टरीज़ के अंदर किसानों के गन्ने का बाकी था, जो वे अदा नहीं कर पाई।

श्री रामानन्द यादव (बिहार) : यही मेन कनसिडरेशन था।

राव बीरेन्द्र सिंह : यह भी था कि और आइन्दा के लिए चलती रहें और किसान अपना गन्ना देते रहे, फक्टरीज़ चलेंगी, तो मजदूर वर्कर्ज, जो उनमें काम कर रहे हैं, वे बेकार न हो जाएं, उनको निकाला न जाए, इसलिए यह फैक्टरीज़ ले ली गई थीं और मैंने बार-बार बताया है कि पैसा बाकी था किसानों का, सब से बड़ा सेवा का काम सरकार ने तो यह किया कि किसानों का वह पैसा सारे अदा कर दें और बार-बार जो इनको कर्जा देना पड़ा फैक्टरीज़ को, उनको चलाने के लिए ठीक

करने के लिए, मरम्मत करने के लिए, किसानों के गन्ने का पैसा निपटाने के लिए वह 34 करोड़ 54 लाख के करीब कर्जा आज तक इन फैक्टरीज के लिए दिया गया है। वर्मा जी ने खुद भी बताया कि 35 करोड़ के करीब रुपया है और फिर सूद अलग है उनके जिम्मे अब हम उनसे तय कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि वे हमें वापिस करें। इसकी सात साल की मियाद भी जो बढ़ा करके कर दी थी, वह भी पूरी होने वाली है। तो वापस करें तो किस तरीके से सरकार का पैसा वसूल होगा? उनसे बात तय हो रही है, कुछ फैसले हो गए है। इनमें से तीन फैक्ट्रियां वापस करने का सरकार ने फैसला कर लिया है और वे जल्दी ही वापस कर दी जायेंगी। अगले साल जो गन्ने की पेराई होगी, उसमें जो मिल-मालिकान है वही इन मिलों को चलायेंगे। उसमे दो कोआपरेटिव मिल जैसा आपने कहा दोनों की दोनों वापस करेंगे, राजस्थान के अन्दर और महाराष्ट्र के अन्दर, केशवराव पाटन की और जीजा माता महाराष्ट्र की और कावेरी की। कावेरी का खुद यह मानते हैं कि कावेरी की रिकवरी भी अच्छी हुई और उसमें कुछ प्रोफिट भी होना शुरु हो गया और सरकार का बहुत सा पैसा जो कि कर्जे का था वह कावेरी मिल ने वापस कर दिया है। थोड़ा ही पैसा बाकी रह गया है। तो ये तीन मिल तो सरकार ने वापस देने का फैसला कर लिया है। अब ये तीन मिल चलती रहें और वे दोबारा बन्द न हो जाएं, वे बीमार न हो जाएं इसके लिए सरकार और आगे इनकी मदद करना चाह रही है और उसमे भी सरकार को करोड़ो रुपए का और घाटा होगा। लेकिन बार-बार हमने कहा है कि सरकार के लिए सैन्ट्रल गवर्नमेंट के लिए कि दिल्ली में बैठकर ही इन मिलों को चलाना ठीक तरीके से मुमकिन नहीं है। लेकिन मजबूर होकर हमने ये मिलें लीं और चलाई। अब मालिकान की तरफ से मांग है कि हमें जितना कर्जा मिला है अगर हम सूद अदा करते रहेंगे तो वे फिर बीमार हो जायेंगी और हम इनको चला नहीं पायेंगे और न ही इनको हम मॉडर्नाइज कर पायेंगे। तो उसके लिए सरकार ने फैसला किया है कि कुछ सुविधाएं उनको जैसे सूद की मुआफी की, मोरीटोरियम लगा कर उनसे मूल सूद वसूलने पर जोर नहीं दिया जाए और उन्हें कुछ साल की छूट दे दी जाए तथा उसके बाद वह पैसा वापस करें। अगर शुरु से ही वापस करते ही हमने अपना कर्जा उनसे वसूल करना शुरु कर दिया तो वे मिल फिर बन्द हो जायेंगी। फिर वे किसानों को गन्ने का पैसा नहीं दे पायेंगे। अब हालत यह है कि पिछले साल का जैसे गन्ने का कुल पैसा था कोई पैसा किसी फैक्ट्री में बाकी नहीं है और ये सिर्फ भारत सरकार की ली हुई मिलें हैं जिसमें सारा भुगतान कर दिया गया है, किसानों के गन्ने की कीमत का सारा भुगतान कर दिया गया है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा: पौने तीन करोड़ रुपया दिया है।

राव बीरेन्द्र सिंह: जो किया है तो भुगतान किसानों का तो हो गया और किसानों के लिए ही किया है। अब तो यह मानेंगे कि और कोई ऐसी मिल नहीं है सिवाय भारत सरकार द्वारा ली हुई मिलों के, जिन्होंने कि किसानों के एक-एक पैसे का भुगतान कर दिया हो। इसमें घाटा उठाया है, वह सराहनीय कदम है, क्योंकि ये मुनाफे के लिए नहीं ली गई थीं। नेशनलाइज करने की बात हम इसलिए नहीं मानते हैं कि हम खुद कहते हैं कि हम ठीक तरीके से इनको नहीं चला सकते। इनको मॉडर्नाइज करके चलाने मे सरकार का अरबों रुपया लगेगा। मालिकों ने इनको बीमार कर दिया, सिक करके छोड़ दिया इसलिए इनको वही संभालें। हमने बहुत हद तक उनकी मदद कर दी। उनको कर्जा दे दिया और आराम से उनसे कर्जा वसूल करेंगे, क्योंकि भारत सरकार ने अपना रुपया भी तो किसी तरह से

वापस लेना है। लेकिन मिलों को चलाए भी रखना है। वर्मा जी ने कहा कि इसकी पैदावार घटती चली जा रही है और साल-ब-साल कास्ट आफ प्रोडक्शन बढ़ती जा रही है। अगर चीनी की पैदावार घटेगी तो कास्ट आफ प्रोडक्शन बढ़ेगी। अगर गन्ना कम आएगा तो पेराई भी कम होगी और कास्ट आफ प्रोडक्शन बढ़ेगी। अगर किसानों का पैसा हाथों-हाथ सारा अदा किया जाएगा तो भी कास्ट आफ प्रोडक्शन बढ़ेगी। अगर पैसा लटकाए रखें और सूद भी न दें जैसा कि और बहुत सी मिलों के अन्दर होता है तो उतनी ही मिल को बचत हो जाती है। इन सब चीजों की वजह से यह सब कुछ होता है। उन्होंने खुद बताया है कि साल-ब-साल पैदावार घटती रही है। लेकिन उसकी वजह है कि कितने दिन तक मिल चली, कितना गन्ना उसके अन्दर उस इलाके से आया उसके ऊपर निर्भर है कि वह मिल कम कीमत पर, कम लागत पर चीनी बना सके, कास्ट आफ प्रोडक्शन कम रहे या ज्यादा रहे? अभी उन्होंने जिक्र किया अयोध्या मिल का, सन् 1983–84 में 146 दिन वह चली है और उन् 1984–85 में 111 दिन चली है। और सन् 1984–85 में 111 दिन चली। कुदरती बात है कि कास्ट आफ प्रोडक्शन ऊपर जाएगी। लेकिन रिकवरी इसकी ज्यादा है। पिछले साल 8.4 थी, अबकी 9.2 है। इसी तरह लक्सर का उन्होंने जिक्र किया, वह खुद जानते हैं, फिर मुझसे क्यों पूछते हैं। 156 दिन चली 1983–84 में और 1984–85 में कुल 99 दिन चली। शुगरकेन नहीं आया। टू-थर्ड पीरियड में चली। देश भर में सभी फैक्ट्रियों की यही हालत है। तभी तो 84 लाख टन से 58 लाख टन पैदावार हो गई। इसी तरीके से पैदावार बढ़ती रहती तो यह हाल क्यों होता। करीब-करीब हर मिल का हिन्दुस्तान के अन्दर क्रशिंग पीरियड घटा है जिससे पैदावार कम हुई है। 2 लाख टन बढ़ी पिछले साल की निस्वत। पिछले साल से हम खास तौर पर कदम उठाए हैं, डाइवशन रोकने की कोशिश की है, भुगतान अच्छी तरह से कराने की कोशिश की है। दो लाख हेक्टयर गन्ने का रकबा घटा है पिछले साल की निस्वत, लेकिन चीनी की पैदावार पिछले साल की निस्वत दो लाख टन बढ़ी है। कैसे बढ़ी है? सरकार ने कुछ उपाय किए हैं, कुछ कोशिश की है, कुछ मेहनत की है, स्टेट गवर्नमेंट्स भी चुस्त हुई है, हमने उनको भी लगाए रखा है। तब दो लाख टन बढ़ी है जबकि गन्ने का रकबा दो लाख हेक्टयर कम हुआ है। पैदावार हमने बढ़ाई इन तरीकों से कि किसान का भरोसा हो, जहां पिछली बार 10 फीसदी गन्ने की कीमत बाकी रह गई, वहां इस साल 3 फीसदी गन्ने की कीमत बाकी रही है। कितना फर्क है। इसी तरीके से बैतालपुर है। यह मिल पिछले साल 133 दिन चली, उससे पहले 188 दिन चली, उससे पहले 193 दिन चली और इस साल 78 दिन चल पाई। और रिकवरी ज्यादा हुई। पिछले साल 8.85 थी, इस बार 9.04 है। इसी तरीके से भगवान है। पिछले साल से इसमें भी रिकवरी ज्यादा है, लेकिन पिछले साल 98 दिन चली जबकि इस साल कुल 56 दिन मिल चल पाई। जो मिल 56 दिन चलेगी—गन्ना नहीं है—वहां नुकसान होगा, प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा। मिल का काम तो नहीं है कि गन्ना बढ़ाए। यू0 पी0 गवर्नमेंट का काम भी था। शुगरकेन की डवलपमेंट होनी चाहिए थी मिलों के आसपास। किसी मिल की मशीनरी पुरानी भी है, अगर गन्ना उसको काफी मिलता है, 150–200 दिन साल के अन्दर चल जाती है तो उसके अन्दर घाटा नहीं होता। बात तो मिल को चलाए रखने की है।

और जिलों का क्या बताऊं, खुद जानते हैं। केशिराय पाटन का उन्होंने जिक्र किया। जब से यह मिल हमने ली तब से एक साल में इसकी दिन बढ़े, चलने के। 109 दिन पहले चलती थी 1976–77 में, फिर 218 दिन तक चली, लेने के बाद लेकिन पिछले साल जहां 75 दिन चली थी, अबकी बार कुल 51 दिन चल पाई। गन्ना नहीं आया, गन्ना इलाके के अन्दर नहीं था। यह हालत हो तो मिल घाटे में चलेगी। जैसा कि मैंने

[राव बीरेन्द्र सिंह]

जिक्र किया, यह जो सरकार ने कदम उठाया यह प्रोफिट कमाने के लिए नहीं था । इन मिलों को सरकार ने हमेशा के लिए लेने का फैसला नहीं किया था कि इनके ऊपर इतना पैसा खर्च करके सदा के लिए नेशनलाइज करके सरकारी बना लें । जो कठिनाई आपने बताई, मैं मानता हूं । इस तरीके से इन मिलों को यहां चलाना आसान काम नहीं है । मिलों के अन्दर कस्टोडियन के ऊपर जहां कोई मालिक नहीं बैठा है तो गड़बड़ होगी, बेईमानियां होंगी । खराबी की ज्यादा गुंजाइश है और इसीलिए कस्टोडियन्स के खिलाफ शिकायतें आई । एक-एक मिल में आठ-आठ बार कस्टोडियन बदले जा चुके हैं । कस्टोडियन हम कहां से लेते हैं । हमारे पास तो सिर्फ नैशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर में है ।

कानपुर में जिस में कुछ अफसर ट्रेन्ड हैं जिन में से हम लेते हैं । उन्होंने भी जहां खराबियां कीं उन के खिलाफ इंक्वायरी हुई और ऐक्शन लिया गया । स्टेट्स से हम ने पैनल मांगा कि आप के पास कोई अफसर हों जिन को कस्टोडियन लगाया जा सके तो आप उन के नाम भेज दीजिए । उस पैनल में से हम ने लगाये । स्टेट गवर्नमेंट ने बार-बार मांगने पर भी हम को अच्छे अफसर नहीं दिये । जो हम चाहते थे वे हम को नहीं मिले और जहां कहीं हम ने खराबी देखी उन में उन को स्टेट गवर्नमेंट को वापस कर दिया । जिनके खिलाफ जहां हम ऐक्शन ले सकते थे वह हम ने लिया । लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के अफसरों के खिलाफ कार्यवाही स्टेट गवर्नमेंट ही कर सकती है । हम उन को सजा नहीं दे सकते । हमने जहां हो सकता था वहां उन के खिलाफ सी० बी० आई० की इंक्वायरी करायी देखा कि कहीं जुर्म ऐसा है कि जिस में प्रासीक्यूशन हो सकता है तो हम उन का प्राक्सीक्यूशन करायें लेकिन वह प्रोसीक्यूशन भी स्टेट गवर्नमेंट का ही काम है । सेंट्रल गवर्नमेंट प्रासीक्यूशन नहीं करती । यह स्टेट सब्जेक्ट है । उन्होंने कई कस्टोडियन्स का जिक्र किया । इस पर पहले भी बात हो चुकी है । कई कस्टोडियन्स बड़े महारथी थ । बहुत गड़बड़ी कर गये । लेकिन जहां हमारे नोटिस में कोई चीज आयी वैसे ही हम ने उस कस्टोडियन को वापस किया और उनके खिलाफ ऐक्शन लिया । उन्होंने कहा कि कौन से अफसर थे जो स्टेट गवर्नमेंट के थे । यह श्रीवास्तव जी थे । वह 1979 में एप्वाइंट हुए थे और 1983 में उन को वापस कर दिया उन के खिलाफ शिकायतें आयीं फैक्ट्री फंडस के मिसयूज की और गलत बिल बनाने की शिकायतें थी । झूठे बिल बने थे । कहीं कोयले की खरीद में गड़बड़ी थी । (व्यवधान) जो शिकायतें आप के पास हैं वही मेरे पास हैं । आप के पास से शिकायतें आती हैं तब हम उन की देखभाल करते हैं । अगर शिकायतें आने पर उन की देखभाल न हो तो सरकार की गलती है । लेकिन ज्यों ही हमारे नोटिस में आया उन के खिलाफ ऐक्शन लिया गया । यू० पी० गवर्नमेंट के अफसर थे और उन के खिलाफ चार्ज प्रूव हो गया था । यू० पी० गवर्नमेंट ने पूछा कि उन के खिलाफ हम ऐक्शन लेना चाहते हैं लेकिन यह रिटायर हो चुके हैं पहले । उस के बाद वे हम से पूछते हैं....

श्री बीरेन्द्र वर्मा : आप ने उन को रिलीव भी कर दिया ।

राव बीरेन्द्र सिंह : यू० पी० के अफसर थे इस लिये रिलीव कर दिया ।

श्री बीरेन्द्र वर्मा : आप उन को सस्पेंड कर देते ।

राव बीरेन्द्र सिंह : यू० पी० के अफसर थे इस लिये रिलीव कर दिया । सस्पेंड करके उस को मिल में रखने को क्या जरूरत थी ? जब एक अफसर यू० पी० कैडर का है तो हम ने उस को वापस कर दिया । ऐक्शन उस के खिलाफ लिया जा सकता है । रिटायर करने के बाद वह बच नहीं सकते सजा से । तो सब से पहले उस के खिलाफ ऐक्शन यह लिया गया कि उस को वापस कर दिया और उसके बाद यू० पी० गवर्नमेंट को हमने कहा है कि उस के खिलाफ वे ऐक्शन लें । वह रिटायर हो चुके हैं लेकिन उसके खिलाफ आप मुकदमा बनाइये और ऐक्शन लीजिए । आप को तसल्ली होनी चाहिए इस चीज से ।

अब अदालतें क्या करती हैं और यू०पी० गवर्नमेंट क्या करती है अगर इस को आप फिर पूछेंगे तो बता दिया जायगा । इसी तरह से एक श्री मेहता थे । यह भी इसी तरह से रिवर्ट किये गये 1980 में । सी०बी० आई० की इंक्वायरी हुई 1980 में.....

उपसभाध्यक्ष (श्री आर० रामाकृष्णन) : सब जवाब आ गया । अब समाप्त करिये ।

राव बीरेन्द्र सिंह : सेंट्रल गवर्नमेंट से सी बी आई की इंक्वायरी चल रही है । 1980 में उन को रिवर्ट कर दिया गया और आप को यह बताना चाहता हूं कि शिकायत बाद में आयी शिकायत आयी 27-5-80 को यहां लेकिन उस समय मैं मिनिस्टर इंचार्ज था, मेरी निगाह में ज्यों ही यह बात आयी कि यह अफसर खराबी कर रहा है मैंने उस को रिवर्ट करने के आर्डर्स कर दिये । शिकायत बाद आयी, उस को मैंने पहले ही रिवर्ट कर दिया । उस शिकायत की देख भाल हुई और अब उस पर इंक्वायरी कंप्लीट हो चुकी है सेंट्रल विजीलेंस कमीशन से और सी बी आई की रिपोर्ट भी बीच में आ चुकी थी । अब एक डिप्टी सैक्रेटरी इंक्वायरी कर रहे हैं फाइनल चार्ज शीट पर यह हमारे एन एस आई के अफसर थे । इसी तरह से बी के सिंह का जिक्र किया । यह यू पी गवर्नमेंट के अफसर थे । रिटायर हो गये सर्विस से । उस के बाद यू पी के शुगर कारपोरेशन ने उन को दुबारा रख लिया । वहां पक्की नौकरी दे दी गयी । रिटायरमेंट के बाद । उस के बाद बड़ी सिफारिशें कर के यू पी गवर्नमेंट ने उन का नाम भेजा मेरे पास कि बहुत अच्छा रेकार्ड है उन का और उन को 1982 में कस्टोडियन बनाया था लक्सर मिल में, जिस का आप ने जिक्र किया ।

श्री रामानन्द यादव : बागास से मिल चलती थी और 76 लाख की लकड़ी उन्होंने खरीद ली ।

राव बीरेन्द्र सिंह : उस ने गड़बड़ी की इस लिये उन को वापस कर दिया और यू पी गवर्नमेंट को लिखा कि इस के खिलाफ ऐक्शन लिया जाय और वह कहते हैं कि 1979 में यह रिटायर हो गया इस लिये हम इसके खिलाफ कोई ऐक्शन नहीं ले सकते ।

श्री बीरेन्द्र वर्मा : आप ऐक्शन ले सकते थे जब यह कस्टोडियन बेईमानी कर रहा था तब ।

राव बीरेन्द्र सिंह : लेकिन यू पी गवर्नमेंट का अफसर था, कारपोरेशन का था । एक स्टेट अंडरटेकिंग का वह अफसर था । आप ने सुना नहीं ठीक तरीके से । रिटायरमेंट के बाद उस को उन्होंने अपने शुगर कारपोरेशन में फिर रखा और फिर वहां से हम को दिया । हम ने उस को वहां वापस किया । ज्यों ही हमारी नोटिस यह शिकायत आयी, उस की जांच पड़ताल शुरू करायी गयी और यू पी गवर्नमेंट को लिखा कि उस के खिलाफ ऐक्शन लिया जाए । यू पी गवर्नमेंट ने कहा कि यह तो 1979 में ही रिटायर हो चुका है । यह तो सरकार से चला गया और अब इस के खिलाफ ऐक्शन नहीं हो सकता । लेकिन हमने लिखा है कि यह पेंशनर है यू पी गवर्नमेंट का, और इसके खिलाफ भी ऐक्शन लिया जा सकता है । यह हम ने लिखा है । उन से हम बात चीत कर रहे हैं कि क्यों नहीं ऐक्शन लिया जा सकता । तो यह कठिनाइयां हैं । आप के पास फुरसत हो तो मैं सब का बता दूं और अगर उन को इस से तसल्ली हो गयी हो तो मैं बन्द कर दूं ।

उपसभाध्यक्ष (श्री आर० रामाकृष्णन) अब वक्त नहीं है । एक मेसेज भी है ।

राव बीरेन्द्र सिंह : इसी तरह से एक जगदीश थे । एक शत्रुघन सिंह हैं सब के खिलाफ हम ने ऐक्शन लिया है । तो फिर आप को किस लिए परेशानी है । आप की शिकायत आने से पहले हम ने ऐक्शन लिया है, जबानी तौर पर कोई कह गया तो हम ने उस पर भी जांच की, ऐक्शन लिया और स्टेट गवनमेंट को हम कह रहे हैं ।

श्री बीरेन्द्र वर्मा : आडिट की बात ।

राव बीरेन्द्र सिंह : आडिट की बात मैंने पहले कही । आडिट बहुत

[राव बीरेन्द्र सिंह]

ढीला चला है इन मिल्स में। हम चाहते हैं कि आडिट कंप्लीट हो। अगर हमने मिल वापस कर दी तो उससे क्या होगा? इसकी बैलेंस शीट तो तैयार हो कि क्या लेना देना है। यह भी एक वजह है कि जो आफिसर इस वक्त तक वहां लगे हुए हैं, जिनको काफी अरसा हो गया जैसे एन0 सी0 जैन का आपने कहा। अगर इनको इसी वक्त चलता कर देते, शिकायत उनके खिलाफ हैं, उनको अगर वापस कर दें तो कौन आडिट कराएगा? यदि मियाद खत्म होन वाली ही हो तो उससे पहले कुछ करा तो लें। इनके न रहने की बात आपने खुद कही कि पहले जो कोई अफसर और कर्मचारी थे वे वापस क्यों किए गए। वापस करने से भी अफसर नहीं बचते। अगर वे रहे मिल के अन्दर तभी काबू में रहते है। हम चाहते हैं कि आडिट कप्लीट हो। कुछ मिलों का 1983-84 का आडिट हो चुका है, जैसे भगवान मिल का, बेतालपुर का 1983-84 का आडिट हो चुका है। कुछ मिल ऐसी है जिनका नहीं हुआ है। 1979-80 का हुआ है, जैसे लक्सर का। यह आडिट रिपोर्ट 1979-80 की है। 1980-81 की रिपोर्ट पर आडिटर्स के सिगनेचर नहीं हुए हैं। आडिट सरकार द्वारा नियुक्त आडिटर करते हैं। सरकारी मिलों का आडिट सरकारी महकमा आडिट करता है। तो इसमें जितना हम करा सकते हैं वह हम कर रहे है। किसी मिल में 1983-84 का आडिट कंप्लीट हो चुका है। जैसे अयोध्या शुगर मिल है उसका हो चुका है,। 1982-83 मे देवरिया का हो चुका है, 1982-83 में बेतालपुर का हो चुका है, और 1983-84 में भगवान का हो चुका है 1982-83 में ही कावेरी का हो चुका है। जहां नही हुआ है उनका, वहां तेजी से करवा रहे है। अगर कोई और बात रह गई हो तो उसका भी उत्तर दे दूं।

श्री कल्पनाथ राय : आदरणीय राव साहब को मैं देश के किसानों की तरफ से धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि राव साहब ने किसानों के हित में जितना बड़ा काम किया है उतना आजाद हिन्दुस्तान में किसी मंत्री ने नहीं किया है। राव साहब के जमाने में ही सन् 1980 से 85 के बीच हिन्दुस्तान के किसानों को जितना रेम्यनरेटिव प्राइस मिला है उतना हिन्दुस्तान मे कभी नहीं मिला। राव साहब के जमाने में जो प्रिंसिपल आफ पेरिटी यानी एग्रीकल्चरल गुड्स और इडस्ट्रीयल गुड्स के दामों मे परिटी स्टेबल हुई, यह सिद्धांत भी आपके जमाने में स्वीकार किया गया। मैं फिर आपको बधाई देता हूं करोड़ों किसानों की तरफ से कि आपने जो वचन दिया था एग्रीकल्चरिल प्राइस कमीशन के बदले एग्रीकल्चरल का कास्टस एंड प्राइसेस कमीशन बनेगा, वह भी बनाया। मुझे आप से दो तीन सवाल पूछने हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर आपने कम से कम 30 रुपए क्विंटल गन्ने का दाम किसानों को नहीं दिया तो आने वाले जमाने में गन्ने का उत्पादन इतना कम होगा कि देश में भारी संकट होगा चीनी का और 10 लाख टन की बजाय आपको 30 लाख टन विदेश से चीनी मगानी होगी। आपको करोड़ों रुपए विदेशी मुद्रा में खर्च करने पड़ेंगे। आप ऐसा मत समझिए कि वे गन्ना ज्यादा पैदा कर देंगे। 1969 मे बम्बई कांग्रेस ने इन्दिरा गांधी जी की अध्यक्षता में एक प्रस्ताव पास किया था कि चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। मैं साफ कहना चाहता हूं कि चीनी मिलों का यदि आपने राष्ट्रीयकरण नही किया और चीनी मिलों को यदि कोआपरेटिव सेक्टर में नहीं डाला तो देश के पूंजीपति किसानों को लूट कर उनकी नसबनस खींच लेंगे और देश को तबाह कर देंगे। चाहे जो तर्क केन्द्रीय मंत्रिमंडल दे कि चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण नहीं होना चाहिए मैं इससे सहमत नहीं हू। श्रीमती इन्दिरा गांधी ने देश की जनता को 1969 में वचन दिया था कि चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण किया जाएगा और जितने और नए लाइसेंस दिए जायेंगे वे सभी कोआपरेटिव सेक्टर में

दिए जायेंगे लेकिन आज तक आपने उस नीति को स्वीकार नहीं किया। जब तक आप इसको स्वीकार नहीं करते तब तक देश में चीनी का उत्पादन नहीं बढ़ेगा।

दूसरे यह कहना चाहता हूं कि जब चीनी मिलें बीमार पड़ती हैं तो उनको सरकार ले लेती है और 40-50 करोड़ रुपया उसमें खर्च भी करती है और जब चीनी मिलें हैल्दी हो गई तो फिर उनको वापस कर देते हैं चीनी मिल मालिकों को। ऐसा क्यों होता है। जिस मिल पर हमने 40-50 करोड़ रुपया खर्च करके हैल्दी बनाया उसको आप क्यों वापस करते हैं। वर्मा जी कह रहे थे कि साढ़े उन्नीस परसेंट एक्साइज ड्यूटी दे रहे हैं। मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि लेवी शूगर का प्राइस आपने 4.40 रुपए कर रखी है जबकि बाजार में चीनी 8 रुपए किलो मिल रही है। बिहार और यू०पी० में 9 और 10 रुपए किलो चीनी भी नहीं मिल रही है। दिल्ली जो भारत की राजधानी है यहां पर 8 रुपए किलो चीनी खुले बाजार में मिल रही है। मैं आपसे कहता हूं कि लेवी शुगर जो 4.40 पैसे बिक रही है यदि आप इसके दाम 5 रुपए या 6 रुपए कर दें और किसानों को गन्ने का दाम 22 रुपए क्विंटल से बढ़ा कर 30 रुपए कर दें तो जहां एक तरफ कन्जूमर को 5 रुपए किलो चीनी मिलेगी वहां किसान को भी अपने गन्ने का 30 रुपए क्विंटल मिल जाएगा। उपभोक्ता और उत्पादकता दोनों को इसका लाभ होगा। आज अजीब तरीका है कि जब कोई गड़बड़ होती है तो कह दिया जाता है कि प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है और प्रदेश सरकार कहती है कि केन्द्र सरकार के अफसर की जिम्मेदारी है। वह कहते हैं कि यह वहां के अफसर के कस्टोडियन में है। सब मिल-जुल कर किसानों को लूटा जा रहा है, उनको तबाह किया जा रहा है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने अपने बजट भाषण में नीति संबंधी वक्तव्य दिया कि सिक मिलों को वापस नहीं किया जायेगा, ऐसी सरकार की नीति है लेकिन आज कृषि मंत्री ने कहा कि हम सिक मिलों को वापस करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि इस प्रकार की विरोधाभास सरकार की नीति में क्यों है। अपने भाषण में वित्त मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने कहा है कि हम सिक मिलों को वापस नहीं करेंगे। लेकिन कृषि मंत्री कह रहे हैं कि हम सिक मिलों को वापस करेंगे।

राव बीरेन्द्र सिंह : कौन सी सिक मिलों का उन्होंने जिक्र किया है? शुगर मिल तो नहीं कहा?

श्री कल्पनाथ राय : शुगर मिलों की बात है। अपने भाषण में उन्होंने कहा कि सिक मिलों को हम वापस नहीं करेंगे मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार की नीति में यह विरोधाभास क्यों है? मैं या निवेदन करना चाहता हूं कि लेवी शुगर के दाम आप 4.40 पैसे से बढ़ाकर 6.00 रु० या 5.00 रु० कर दीजिये, लेकिन किसानों को गन्ने का दाम 22 रु० से बढ़ाकर 30 रु० कर दीजिये। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप गन्ना उत्पादकों के हितों की रक्षा भी करेंगे और कन्जूमर्स के हितों की भी रक्षा करेंगे। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि देश भर के करोड़ों-करोड़ किसान आपका अभिनन्दन करेंगे, अगर आप ऐसा कर देंगे। हमारे देश में चीनी का उत्पादन भी बढ़ सकता है, जब आप किसानों को रिम्युनेरेटिव प्राइस देंगे। आज गन्ने का कास्ट आफ प्राडक्शन बहुत बढ़ गया है। यही कारण है कि गन्ने का क्षेत्रफल 32 लाख हैक्टियर से घटकर 28 लाख हैक्टियर हो गया है। अगर आप किसानों की रिम्युनेरेटिव प्राइस नहीं देंगे, तो यह क्षेत्रफल और भी घटता चला जायेगा। आपकी पोपूलेशन बढ़ती जायेगी, मांग बढ़ती जायेगी, लेकिन चीनी का उत्पादन नहीं बढ़ पायेगा। इन्टरनेशनल स्टेण्डर्ड भी आप का लोएस्ट है। आपको चीनी इम्पोर्ट करनी पड़ रही है। इसलिये आप किसानों के हितों की रक्षा कीजिये। किसानों को मिल-मालिकों के हाथों

[श्री कल्पनाथ राय]

में मत जाने दीजिये । मिल-मालिकों के हाथ में मत इसको दीजिये । भविष्य में आप जो भी लाइसेंस दें, वह कोआपरेटिव सेक्टर में द प्राइवेट पूंजीपतियों को लाइसेंस कदापि मत दीजिये । इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं ।

उपसभाध्यक्ष (श्री आर० रामकृष्णन) : आप 60 सेकेण्ड में अपनी बात समाप्त कर दीजिये ।

श्री रामानन्द यादव : सरकार से यह जानना चाहता हूं कि आपने जो यह 35 करोड़ रुपया अब तक इन आठ मिलों में खर्च किया है, बल्कि म तो यह कहूंगा कि जो अपव्यय किया-है, क्या आपने इनको चलाने की जिम्मे-दारी सिर्फ तीन वर्ष के लिये ली थी । यदि हां, तो एक-एक वर्ष इनका बढ़ाने की आवश्यकता क्यों पड़ी ? कौन-सी इकनौमिक स्थिति थी जिसके कारण आपने ऐसा किया है ? कोन-सी ऐसी प्लानिंग थी, जिसके तहत आपने इन मिलों को एक-एक वर्ष करके बढ़ाया ? क्या सरकार ने बार-बार यह कहा है कि सरकार इन मिलों को सदा नहीं चलायेगी, क्योंकि सरकारी खजाने के पैसे का अपव्यय हो रहा है । इन 35 करोड़ रुपयों से मिलें बन सकती थीं । क्यों आपने इस पैसे का इस प्रकार से व्यय किया है ? क्या यह बात सही है कि एक ही कस्टोडियन के अधीन दो मिलें चल रही है ?

क्या सरकार बतायेगी कि इन आठ मिलों के मार्डनाइजेशन और केन डवलपमेन्ट पर भारत सरकार न आज तक कितना रुपया व्यय किया है ?

क्या उत्तर प्रदेश की शुगर मिलें जो भारत सरकार के अधीन हैं, वहां के मजदूरों, नागरिकों ने सरकार से यह आग्रह किया है कि या तो सरकार इन मिलों का राष्ट्रीयकरण कर ले या फिर पुराने मिल-मालिकों को दे दे, क्योंकि इनका किसानों की गन्ने की कीमत का पेमेंट मिल-मालिकों के पेमेंट से भी बदतर है, समय पर उनका पेमेंट नहीं होता है ? **(समय की घंटी)**

क्या यह बात सही है कि अब तक 1983–84, 1984–85 और 1985–86 की बैलेंस शीट नहीं बन सकी हैं ? क्या कारण है कि ये समय पर नहीं बन पायी ?

क्या सरकार इस एडहाक पालिसी को खत्म करेंगी और क्या सरकार इन मिलों का राष्ट्रीयकरण करने के लिये तैयार है ? अगर सरकार इसके लिये तैयार नहीं है तो क्या इन मिलों को उनके पुराने मिल-मालिकों को देने के लिये तैयार है ? क्या यह बात सही है कि सरकारी मिलें गन्ना जो किसानों से खरीदती हैं, उस गन्ने की कीमत का वर्षों से पेमेंट नहीं हुआ है, जब कि भारत सरकार ने कानून बनाया है कि 14 दिन के अन्दर पेमेंट हो जाना चाहिये । यदि केन प्राइस का पेमेंट 14 दिन के अन्दर पेमेंट नहीं हुआ, तो जो उसका बकाया है, क्या सरकार उसका सूद देगी ? इसी प्रकार मिल-मालिकों के ऊपर किसानों का जो बकाया पैसा है, क्या सरकार उसका ब्याज किसानों को दिलवायेगी ?

क्या सरकार ने मिल-मालिकों से मिलों को लौटाने के बारे में कोई विचार-विमर्श किया है ? यदि हां, तो मिल-मालिकों से इसके लिये कौन-सी कण्डीशंस रखी हैं और आपने उनके सामने कौन सी कंडीशंस रखी है ? तीन मिलें जिनको आपने वापस किया है, उनको किस कंडीशन पर वापस किया है और उसमें सरकार ने जो पैसा लगाया है, उस पैसे की रिकवरी किस तरह से करेंगे ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा : करेंगे, किया नहीं है ।

श्री रामानन्द यादव : क्या....

उपसभाध्यक्ष (श्री आर० रामकृष्णन) : आखिरी सवाल ।

श्री रामानंद यादव : क्या यह बात सही है कि कुछ दिल्ली में बैठे हुए सरकारी अधिकारी अपनी मौज मस्ती के लिये आपको गुमराह करते हैं और इन मिलों को सरकारी क्षेत्र में रखने क लिये, इसी तरह से चलाने के लिये आपसे आग्रह करते रहते है, जब कि आप चाहतें है कि इनको लौटा दिया जाये या इनका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाये । तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सही है ?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. RAMAKRISHNAN) : Hon'ble Minister already this discussion has taken more than an hour. Please be brief.

राव बीरेन्द्र सिंह : बिल्कुल मुख्तसर जवाब दूगा ।

वाइस चेयरमैन साहब, किसानों के मामले में सारे मेम्बर इतने उत्सुक हैं, उनके लिये इतनी जोर से आवाज उठाते हैं, इस बात की मुझे खुशी है । वर्मा जी हैं, कल्पनाथ राय जी है, यादव साहब हैं, हमेशा हमें इनसे मदद मिलती है जितनी भी ये किसानों की बात यहां लाते हैं उससे हमको जानकारी भी मिलती है । श्रीमन्, बहुत सी बातों का जवाब मैं दे चुका हूं । कल्पनाथ राय जी ने भी यही मांग की जो वर्मा जी ने की थी । वर्मा जी ने 25 रुपये क्विंटल केन के लिये मांग की थी, कल्पनाथ राय जी ने 30 रुपये क्विंटल की मांग की है ।

श्री वीरेंद्र वर्मा : मैं कह रहा हूं कि 25 रुपय ही दिलवा दीजिये ।

राव बीरेन्द्र सिंह : मैं इतना ही कह सकता हूं कि ये खुशकिस्मत हैं जो किसानों को लेकर एक तरफ की बात करते हैं और खूब जोर से कहते हैं । लेकिन सरकार की कुछ कठिनाइयां होती हैं । सरकार को दोनों तरफ देखना पड़ता है, किसानों की तरफ भी देखना पड़ता है और उपभोक्ताओं की तरफ भी देखना पड़ता है और सोचना पड़ता है कि इससे शुगर की कितनी कीमत बढ़गी, लेवी में जो शुगर जाता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से उसका क्या भाव होगा और खुले बाजार मे क्या कीमत होगी और वह कीमतें अगर मीनिमम रखी जावें और खर्च ज्यादा आय किसानों को ज्यादा वे मिले तो मिलें चल पायेंगी या नहीं, घाटा तो ज्यादा नही होगा यह सारी चीजें देख कर के हमें बैलेंस रखना पड़ता है । मैं बार-बार अर्ज कर चुका हूं अभी तक 21–22 रुपये से लेकर पिछले वर्ष 25–26 रुपये तक केन का भाव मुख्तलिफ स्टेटस में दिया गया । यह भी आनरेबल मेम्बर जानते हैं कि भारत सरकार गन्ने की न्यूनतम कीमत ही मुकर्रर करती है पर जो भाव मिलें किसानों को देती है यह स्टेट गवर्नमेंट्स अपना एड-वाइज प्राइस रखती है उसके मुताबिक भाव तय होता है । उसके अन्दर कितना अब स्टेट गवर्नमेंटस कर सकेगी इसके लिये मैं नही कह सकता, लेकिन जो भाव सरकार मुकर्रर करती है मिनिमम स्टेट्युटरी प्राइस वह लेवी शुगर लेने के लिये करती है । यह बात कल्पनाथ राय जी ने ठीक कही कि लेवी शुगर का प्राइस थोड़ा बढ़ा दिया जाए उपभोक्ताओं के लिए चार रुपये चालीस पैसे के बजाय और ऊंचे भाव पर चीनी दे सकें तो मिलों की क्षमता गन्ने की कीमत देने की बढ़ जायगी लेकिन कितनी हद तक लेवी शुगर का प्राइस बढ़ाना चाहिए उसमें भी हाउस के अन्दर दो राय होंगी कुछ मैम्बर यह चाहेंगे कि इतनी मंहगी नहीं होनी चाहिय (व्यवधान)

श्री रामानन्द यादव : मंत्री जी, मैं आपसे यह कहता हूं कि केन का प्राइस समय पर किसानों को दे दिया जाए । (व्यवधान)

राव बीरेन्द्र सिंह : उसमें भी हम कोशिश कर रहे हैं । 3 परसेंट रिकवरी रह गई है । चीनी का भाव भी खुले बाजार में कंट्रोल कर लिया गया है । यह भी माननीय सदस्य मानेंगे । हमारी जो नीति चल रही है उसमें जरूर कुछ देर लगी हालात काबू करने में लेकिन अब हालात काबू में आ गये हैं । हमारा इंतजाम ठीक हो गया है । राज्य सरकारों का इंतजाम ठीक हो गया है । जो बाहर से चीनी आ रही है सरकार ने उसका वितरण का ठीक बन्दोबस्त कर लिया है और अब एट्रैडर मिलें एक्सपायलट नहीं

[राव बीरेन्द्र सिंह]

कर सकेंगे मंडी को उपभोक्ताओं को ज्यादा पैसे देने के लिए बाध्य नहीं कर सकेंगे। जहां तक इन मिलों में एरियर्ज का ताल्लुक है इन मिलों में सवाल पैदा ही नहीं होता क्योंकि जितना भी बकाया था सारे का सारा बकाया अदा हो चुका है कोई पैसा गन्ने का इन 8 मिलों में बकाया नहीं है। सूद का किसी भी मिल में सवाल नहीं है। इस तरीके से इंतजाम किया है। जो माननीय सदस्यों की मांग है कि 25-30 रुपये क्विंटल गन्ने का दाम किसानों को मिलना चाहिए इन चीजों को ध्यान में रखेंगे। यादव साहब ने कहा कि तीन साल के लिए ली थी तो फिर उसके बाद एक्सटेंशन क्यों देते रहे? तीन साल के लिए पहले ली थी किसानों के हित में हमें एक्सटेंशन करना पड़ा। तीन साल का एक बार एक्सटेंशन किया फिर एक साल के लिए एक्सटेंशन किया अब हम उनको वापिस करना चाहते हैं, इस के लिए बातचीत चल रही है मिल-मालिकों के साथ। मिल-मालिकों ने एक बात की मांग की कि वह इन मिलों को चला सकेंगे मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं अगर उनको कुछ राहत मूल की अदायगी की दे दी जाए जितना पिछले सालों का सूद है वह उनको माफ कर दिया जाए और आगे के लिए असल रकम है कर्ज की दी है मिलों को सरकार ने उसकी वापसी के लिए कुछ मियाद रख दी जाये और पांच वर्ष तक इसमें कुछ वापिस नहीं लिया जाएगा। इस तरीके से रियायतें व मांगते हैं और हम उनके साथ सोच कर के इन मिलों को वापिस कर रहे हैं यह सारी रियायतें तय कर के मिलें उनको वापिस की जाएंगी। मैं मानता हूं कि मिलें वापिस हो जानी चाहियें इसी आधार के ऊपर हम चल रहे हैं यह एक टेम्पोरेरी मेजर था जिनसे मिलें ली गई इसके ऊपर भारत सरकार को काफी खर्च करना पड़ता है। नेशनालाइज करने के बारे में मैं बार-बार अर्ज कर चुका हूं कि हम यह चाहते है कि अगर सारी मिलें ली जाए और उनको सरकार ले कर चलाए तो राज्य सरकार ले भारत सरकार के लिए इन मिलों को ले कर नेशनालाइज कर के चलाना मुमकिन नहीं है मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि जो मिल बीमार हो उसको राज्य सरकार ले हतमी तौर पर ले ले मलकीयत बना ले।

उसमें हम उनकी सहायता सहयोग करेंगे।

कल्पनाथ राय जी ने मांग की कि कोओपरेटिव सैक्टर में होना चाहिए बिल्कुल हम इस बात से सहमत है। आगे लाइसेंन्सज देने के लिए हमारी नीति यह चल रही है कि काओपरेटिव सैक्टर को तरजीह दी जाएगी। जहां कोआपरेटिव सैक्टर में किसान लोग मिल लगाना चाहेंगे उसके मुकाबले में किसी प्राइवेट पार्टी को लाइसेंस नई मिलों का नहीं दिया जाएगा।

पुरानी मिलें जरूर ऐसी हैं कि जहां एक्सपेंशन हो सकता है, जहां गन्ना ज्यादा है, वहां पर एक्सपेंशन के लिए उनको भी सोचा जा सकता है।

मैं समझता हूं कि सारी बातों का जवाब मैं दे चुका हूं। बहुत धन्यवाद आपका।

MESSAGES FROM THE LOK SABHA

I. The Auroville (Emergency Provisions) Amendment Bill, 1985

II. The Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Bill, 1985

III. The Lokpal Bill, 1985

SECRETARY-GENERAL : Sir, I have to report to the House the following messages received from the Lok Sabha, signed by the Secretary-General of the Lok Sabha :—

(I)

"In accordance with the provisions of rule 120 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to inform you that Lok Sabha at its sitting held on the 28th August, 1985, agreed without any amendment to the Auroville (Emergency Provisions) Amendment Bill, 1985, which was passed by Rajya Sabha at its sitting held on the 19th August, 1985."